CIN : U40109RJ2000SGC016486

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(कार्मिक विभाग)
पंजि.कार्या. : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर – 302005
फोन व फैक्स नं. : 0141-2747036
E-Mail : cpo@jvvnl.in

क्रमांकः जेपीडी/मुकाअ/का.अ.(त.सं.)/प.– /प्रे. ५११ जयपुर दिनांकः ३१-१०-१७

आदेश

लॉस रिडक्शन योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 11 केवी फीडर पर फीडर इन्चार्ज नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा फीडर इन्चार्ज के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां पत्र क्रमांक जेपीडी/एमडी/सीपीओ/पत्रा./प्रे. 399 दिनांक 30.05.2017 द्वारा प्रसारित की गई है, जिनमें उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण, विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करना, मीटर व जले हुए ट्रांसफार्मर बदलना, ढीली लाइनों को कसना, टेढे पोल सीधे करना आदि प्रमुख हैं।

प्रत्येक फीडर इन्चार्ज से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारित कार्यों के निष्पादन को स्वयं के स्तर पर पूर्ण निष्ठा एवं लगन से सम्पादित करें तथा उक्त कार्यो के निष्पादन हेतु किसी आमजन का सहयोग लेने जैसे अनुचित व्यवहार से दूर रहें क्योंकि विद्युत उपभोक्ताओं एवं आमजन का कार्य में सहयोग लेना न तो प्रशासनिक तथा न ही विधिक दृष्टि से विधि सम्मत है तथा इससे उपभोक्ता/आमजन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना भी रहती है। विद्युत नियमों के अनुसार किसी भी विद्युत लाइन अथवा उपकरण पर केवल नियमानुसार अधिकृत व्यक्ति ही कार्य करने हेतु सक्षम है।

सभी फीडर इन्चार्ज एवं अन्य कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना कर किसी उपभोक्ता अथवा आमजन का कार्य में सहयोग लिया जाएगा तो सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उसे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा तथा उपभोक्ता/आमजन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा एवं न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली मुआवजे की राशि भी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली जाएगी।

आदेशानुसार,

N S Nathawat

(एन.एस.नाथावत)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

CPO:D:\Devesh\hindi letter.docx

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. मुख्य/अति./उप मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
2. सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. अति0 पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
5. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. कम्पनी सचिव, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
9. उपनिदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
10. वरि. लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
11. सहायक अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम, । आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर समस्त कर्मचारियों के सूचनार्थ चस्पा की जावे।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
13. निजी सहायक— अध्यक्ष डिस्कॉम्स/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

(कीर्ति पालीवाल)
कार्मिक अधिकारी (त.स.)